राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत पीपलीनगर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत पीपलीनगर

प्रकरण सं. – 68/2014 रे0वा0 निर्णय दिनांक – 18.06.2015

अनवान

1. श्री पन्नासिंह पिता भीमसिंह उर्फ भौमसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर सिरोडी तहसील भीम
2. श्री शक्तसिंह पिता उर्फ हगतसिंह पिता भीमसिंह उर्फ भौमसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर सिरोडी तहसील भीम
3. श्री धुलसिंह पिता भीमसिह उर्फ भौमसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर सिरोडी तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री भैरूसिंह पिता रूपसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर सिरोडी तहसील भीम
2. श्री भादुसिंह पिता रूपसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर सिरोडी तहसील भीम
3. श्री कानसिंह पिता प्रेमसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर सिरोडी तहसील भीम
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए</u>

ग्राम डुंगागुडा पटवार हल्का पीपलीनगर तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न वर्णित आराजियात आई हुई है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
185	1066	15	01	00	बंझड
कुल किता 1 रकबा 15 बीघा 1 विस्वा					

यह कि पद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा आराजी खसरा नम्बर 1066 रकबा 15 बीघा 01 विस्वा किस्म बंझड के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सयुक्त खातेदार है तथा उक्त आराजी मे वादीगण पन्नासिंह शक्तसिंह उर्फ हगतसिंह , धुलसिंह व खीमसिंह का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भैरूसिंह व भादुसिंह का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 कानसिह पिता प्रेमसिंह का 1/4 हिस्सा है।

वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित आराजी आज तक रिकार्ड में बिना बंटी चली आ रही है एवं प्रत्येक रिकार्डेड खातेदार अपनी सहुलियत के अनुसार अपने अपने हिस्से के मुताबिक खेती करते हुए एवं बंझड जमीन में घास काटते चले आ रहे है। किन्तु उपरोक्त आराजियात का माप व सीमांकन के विधिवत रूप से कभी बंटवारा नही हुआ है एवं उक्त आराजियात आज तक बिना बंटी होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सामूहिक उपयोग एवं उपभोग में चली आ रही है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प पीपलीनगर** मे पेश हुआ पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वर्णित आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मौके पर हिस्से अुनसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर हिस्से अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner